

अध्याय V

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

5.1 प्रस्तावना

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण लागू किया। स्वनिर्धारण के आरम्भ के साथ विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ सशक्त अनुपालन सत्यापन तन्त्र के लिए भी प्रावधान किया। चूँकि निर्धारण अब निर्धारिती का उत्तरदायित्व है इसलिए विभाग का मुख्य कार्य दावित कर की प्रभावी दर के अनुसार निर्धारित शुल्क, घोषित कर योग्य मूल्य और लिए गए सेनेट क्रेडिट की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत कर विवरणी की संवीक्षा करना है। एसीईएस के माध्यम से विवरणियों का ई-फाइलिंग अक्टूबर 2011 से अनिवार्य बनाया गया था। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात् एसीईएस द्वारा प्राथमिक संवीक्षा और विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप में की जाती है।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा जांच का उद्देश्य अनुपालन सत्यापन के लिए औजार के रूप में मौजूद प्राथमिक तथा विस्तृत संवीक्षा प्रणालियों की प्रभावकारिता निर्धारित करना था।

5.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने 26 कमिशनरियों की 129 रेंजों में 2011-12 तथा 2012-13 में दाखिल सेवा कर विवरणियों की नमूना जांच की। तथापि अन्तर्गत मामलों के आधार पर हमने पूर्व अवधियों, जहाँ कहीं आवश्यक माना गया, से संबंधित आपत्तियां शामिल की हैं।

5.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित यूनिटों में निर्धारिती अभिलेखों की संवीक्षा में ₹ 57.53 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले कुछ अनुपालन सम्बन्धित तथा मामलों का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 44.96 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) और ₹ 3.67 करोड़ वसूल कर लिए। प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में सोदाहरण दिए गए हैं:

क. प्राथमिक संवीक्षा

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 7 परिकल्पना करता है कि सेवा कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति छमाही के अन्त में 25 दिनों के अन्दर फार्म एसटी-3 में छमाही विवरणी प्रस्तुत करनी है। निर्धारितियों द्वारा विवरणियां दाखिल करना तथा रेज अधिकारियों द्वारा विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा 2009-10 से एसीईएस के माध्यम से आन लाइन किया जाता है।

हम चयनित रेजों में जांच करने के दौरान जैसे देखे गए, प्राथमिक संवीक्षा से संबंधित अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा करते हैं।

5.4.1 विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

i) हमने देखा कि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्राप्य 2,45,240 विवरणियों में से केवल 1,39,349 (57 प्रतिशत) विवरणियां चयनित कमिश्नरियों में प्राप्त हुई थीं। प्राप्त कुल विवरणियों में से 8091 (6 प्रतिशत) विवरणियां विलम्बित रूप से प्राप्त हुई थीं और 1,05,891 (43 प्रतिशत) किंचित प्राप्त नहीं हुई थीं। फाइल न करने वालों/बन्द फाइल कर्ताओं की पहचान सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा नियम पुस्तक 2009 के पैरा 1.2.1 में प्राथमिक संवीक्षा के प्रयोजनों में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। तथापि विभाग ने फाइल न करने वालों/बन्द फाइल कर्ताओं की पहचान नहीं की। हमने यह भी देखा कि विवरणी विलम्बित दाखिल करने के मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की की गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि दाखिल न करने वालों/बन्द दाखिल कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई है।

ii) संवीक्षा संचालन

सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के समापन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसके विपरीत केन्द्रीय उत्पाद विवरणियों की संवीक्षा के मामले में जहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2008 प्राथमिक तथा विस्तृत संवीक्षा दोनों के समापन के लिए 3 माह का प्रतिमान निर्धारित करती है।

एक अच्छी प्रथा के रूप में इस प्रतिमान को लागू कर विभिन्न कमिशनरियों से यथा प्राप्त विवरणियों की संवीक्षा के समापन की स्थिति को तालिका बद्ध किया। हमने देखा कि चयनित रेंजों में प्राप्त विवरणियों में से केवल 38,936 (28 प्रतिशत) की तीन माह के अन्दर संवीक्षा की गई थी। 2,37,913 (70 प्रतिशत) विवरणियों की विलम्बित संवीक्षा की गई थी। 34,478 विवरणियों में से चयनित रेंजों में संवीक्षा तथा सुधार के लिए चिन्हित 26,863 (78 प्रतिशत) 3 माह से अधिक अवधि के लिए समीक्षा तथा सुधार के लिए लम्बित रहीं।

जह हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि संवीक्षा मामलों में लम्बन एसीईएस में समस्याओं के कारण है। लम्बन को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 6

➤ ‘समीक्षा तथा सुधार’ मामलों के संबंध में सुधार कार्रवाई सहित सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के समापन के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है।

5.4.2 विलम्बित फाइलिंग के लिए विलम्ब शुल्क का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 7ग विवरणियां दाखिल करने की रीति निर्धारित करता है और अधिदेश भी करता है कि विशेष छमाही, जिससे विवरणी सम्बन्धित है, के अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है। यह आगे प्रावधान करता है कि यदि विवरणी निर्धारित देय तारीख तक दाखिल नहीं की जाती है तो निर्धारिती से विलम्ब की अवधि के लिए विलम्ब शुल्क के साथ विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70 (1) के अनुसार ऐसा विलम्ब शुल्क ₹ 20,000 से अधिक नहीं हो सकता है।

हमने देखा कि 1,39,349 विवरणियों में से 8091 विवरणियां 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों में विलम्ब से दाखिल की गई थीं। विलम्ब से प्राप्त 865 विवरणियों की नमूना जांच में पता चला कि ₹ 31.65 लाख विलम्ब शुल्क के रूप में सरकार को देय था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2014) तब मंत्रालय/विभाग ने 14 मामलों में ₹ 24.02 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)।

ख. निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का प्रयोजन बोर्ड के मार्ग निर्देशों में अभिज्ञात जोखिम प्राचलों के लिए प्रदर्शित असाधारण प्रवृत्तियों के सही कारण अभिनिश्चित करता है। कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करने के अतिरिक्त विस्तृत संवीक्षा का अन्य प्रमुख उद्देश्य सेवाओं, जो निर्धारण से बच गई हैं के संबंध में मूल्यांकन, कर योग्यता की सत्यता, सेनेटेट क्रेडिट प्राप्त करने की सत्यता आदि सुनिश्चित करने के द्वारा स्वनिर्धारण की सत्यता स्थापित करना है।

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा नियम पुस्तक 2009 का अध्याय 4 परिकल्पना करता है कि कुल विवरणियों के अनधिक दो प्रतिशत विस्तृत संवीक्षा हेतु अभिज्ञात जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन की जानी हैं।

5.4.3 चयनित रेंजों में लेखापरीक्षा जांच के दौरान निम्नवत देखा:-

- क) एसीईएस प्रणाली ने विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की सूची नहीं बनाई।
- ख) 2011-12 तथा 2012-13 में प्राप्त 1,39,349 विवरणियों में से केवल 121 विवरणियों की चयनित कमिशनरियों द्वारा संवीक्षा की गई थी जो प्राप्त कुल विवरणियों के 0.1 प्रतिशत से भी कम हैं।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि विस्तृत संवीक्षा करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है।

5.5 निर्धारितियों द्वारा अननुपालन

हमने कुछ विवरणियों की संवीक्षा की जहाँ विभाग ने विस्तृत संवीक्षा की थी और वहाँ भी जहाँ विभाग ने संवीक्षा प्रक्रिया की दक्षता निर्धारित करने के लिए और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी।

हमने देखा कि अनेक दृष्टान्तों में निर्धारितियों द्वारा स्वनिर्धारण में चूंके हुई थीं जिनमें वित्तीय निहितार्थ अन्तर्गस्त था। निर्धारिती का अननुपालन खोजा नहीं गया था जबतक सेरा ने उसका उल्लेख नहीं किया। इनमें से कुछ चूंकों जो विभाग के अनुपालन सत्यापन तन्त्र से बच गए परन्तु निर्धारिती विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान देखे गए सोदाहरण दिए जाते हैं:

5.5.1 सेवा कर की गैर/कम अदायगी

हमने 56 मामलों के संबंध में ₹ 41.03 करोड़ के सेवा कर तथा ब्याज के गैर/कम भुगतान देखे। मंत्रालय/विभाग ने 19 मामलों में आपत्ति स्वीकार और ₹ 1.07 करोड़ वसूल कर लिए। तीन मामले उदाहरणस्वयं दिए गए हैं:-

i) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105)(जैडजैडएम) के अनुसार विमान पतन प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी विमान पतन में किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा सेवा कर को प्रभार्य है।

नागपुर कमिशनरी में मै. मिहान लि. (एमआईएल), महाराष्ट्र विमान पतन विकास कं. लि. तथा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण (एएआई) का संयुक्त उद्यम, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन, नागपुर में सुविधाओं के उपयोग के लिए ग्राहकों से लाइसेंस फीस वसूल कर रहा है। यह देखा गया था कि एएआई द्वारा रिलायंस इण्डस्ट्रीज से लाइसेंस फीस संग्रहीत की गई थी और आगे एमआईएल को दी गई थी।

हमने देखा कि न तो निर्धारिती ने और न ही एएआई ने मार्च 2010 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से संग्रहीत लाइसेंस फीस के संबंध में विमान पत्तन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.57 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि जारी करने के लिए एससीएन प्रक्रियाधीन है।

ii) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105)(जैडजैडजैडजे) के अनुसार ऐसी मशीनरी, उपकरण तथा साधनों का आधिपत्य का अधिकार और प्रभावी नियंत्रण हस्तान्तरित किए बिना उपयोग हेतु मशीनरी, उपकरण तथा साधनों सहित अमूर्त वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में सेवा कर योग्य सेवा है।

हमने देखा कि कोलकाता सेवा कर कमिशनरी में मै. ट्रांसेफ सर्विसेज लिमिटेड (टीएसएल) ने 2011-12 में फ्रेट कंटेनर/उपकरण की आपूर्ति के लिए ₹ 27.72 करोड़ की किराया आय प्राप्त की। ग्राहकों के साथ किए करार/पट्टा अनुबन्ध से पता चला कि ये लेन-देन केवल पट्टा प्रचालन कर रहे थे और बिक्री नहीं थे। पट्टाधारियों द्वारा प्राप्त केवल अधिकार अनुमत अभिरक्षा और पट्टाकृत कंटेनर का उपयोग करने का अधिकार था। अधिपत्य तथा प्रभावी नियंत्रण का कानूनी अधिकार दिए बिना, वस्तुओं की मानी गई बिक्री के रूप में मान्य न होने पर विभिन्न पार्टियों को फ्रेट कंटेनर का उपयोग अनुमत करने का ऐसा लेन-देन उपयोग हेतु 'अमूर्त वस्तु सेवा की आपूर्ति' के अन्तर्गत शामिल किया गया था। तथापि किराया आय के प्रति प्राप्त राशि पर सेवा कर प्राप्त नहीं हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि बराबर शास्ति तथा लागू ब्याज के साथ ₹ 15.32 करोड़ की मांग की पुष्टि हो गई थी।

iii) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से दी गई और भारत में प्राप्त) नियमावली 2006 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 66ए प्रावधान करती है कि सेवाओं का आयात भारत में सेवा प्राप्त कर्ता के हाथों में कर योग्य है। इसके अलावा सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से दी गई और भारत में प्राप्त) नियमावली 2006 के नियम 5 के साथ पठित सेनेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(4)(ड.) के अनुसार ऐसी सेवाओं पर सेवा कर केवल नकदी के माध्यम से अदा किया जा सकता है और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त सेनेट क्रेडिट का उपयोग करने के द्वारा नहीं।

बंगलौर सेवा कर कमिशनरी में मै. ट्यूटर विस्ता ग्लोबल प्रा. लि. ने 2011-12 के दौरान ₹ 7.43 करोड़ की सेवाओं का आयात किया। निर्धारिती ने सेनेट क्रेडिट के माध्यम से ऐसी आयातित सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.55 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (दिसम्बर 2014) कि ₹ 76.55 लाख की राशि का निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

5.5.2 सेवाओं का गलत मूल्यांकन

हमने दी गई सेवाओं के मूल्य का गलत मूल्यांकन देखा परिणामस्वरूप दो मामलों के संबंध में ₹ 28.37 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो नीचे उदहरणस्वरूप दिए गए हैं:-

i) कोचीन कमिशनरी में मै. मैत्री एडवरटाइजिंग वर्क्स प्रा. लि. का केन्द्रीकृत पंजीकरण था और कोच्ची तथा चेन्नई में स्थित अपने कार्यालयों से बीजक जारी किए। तथापि सेवा कर भुगतान करते समय निर्धारिती ने चेन्नई कार्यालय से जारी सेवा कर बीजकों की गणना नहीं की परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान ₹ 12.66 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ₹ 1.78 लाख के व्याज के साथ राशि का भुगतान कर दिया था।

ii) कोचीन कमिशनरी में मैं. गणेश बैंजोप्लास्ट लि. ने 2011-12 की अवधि की दौरान ₹ 1.92 करोड़ के बीजक जारी किए परन्तु विवरणी में ₹ 56.40 लाख के रूप में सेवा के मूल्य की घोषणा की और उस पर सेवा कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ के सेवा मूल्य का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.93 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2013) तब मंत्रालय ने ₹ 13.93 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)।

5.5.3 छूट का गलत लाभ लेना

हमने देखा कि पांच मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न निर्धारितियों को ₹ 6.58 करोड़ के सेवा कर से छूट गलत प्रकार से अनुमत की गई थी। उदाहरणस्वरूप एक मामला नीचे है:

अधिसूचना 1/2006 (क्र सं. 10) दिनांक 1 मार्च 2006 इस शर्त कि ऐसी कर योग्य सेवाओं को देने के लिए प्रयुक्त इनपुट पूँजीगत माल अथवा इनपुट सेवाओं पर कोई सेनेट क्रेडिट न लिया गया हो, के अध्यधीन काम्पलेक्स सेवा के निर्माण के संबंध में करयोग्य सेवाओं के मूल्य पर 67 प्रतिशत के उपशमन का प्रावधान करती है।

मुम्बई एसटी II कमिशनरी में मैं. लार्सन एण्ड ट्रॉ लिमिटेड इसीसी डिवीजन ने कथित अधिसूचना के अन्तर्गत उपशमन का लाभ लेने के बाद आवासीय काम्पलेक्स सेवा के निर्माण पर सेवा कर भुगतान किया। तथापि, निर्धारिती ने ऐसे निर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के क्रेडिट का लाभ भी लिया जिसने अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 29.36 करोड़ के उपशमन का गलत लेना हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.02 करोड़ के सेवा कर का कम उदग्रहण हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2013) तब मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने कार्य ठेका सेवा के लिए किसी सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपशमन का लाभ उपलब्ध नहीं हैं यदि सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग किया गया हैं, इस तथ्य के बावजूद कि इस सेवा के लिए अथवा किसी अन्य कर योग्य सेवाओं के लिए।

5.5.4 सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

हमने देखा कि ₹ 6.97 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का 35 मामलों में विभिन्न निर्धारितियों द्वारा गलत प्रकार लाभ लिया गया था। मंत्रालय/विभाग ने 12 मामलों में आपति स्वीकार कर ली और ₹ 84.94 लाख की वसूली की। उदाहरण स्वरूप से मामले नीचे दिए गए हैं:

i) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(1) परिकल्पना करता है कि इनपुट अथवा इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं होगा जिसका उपयोग कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए किया जाता है।

यदि सेवा प्रदाता करयोग्य तथा कर मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अलग लेखे अनुरक्षित करने में असफल होता हैं तब नियम 6(3) के अनुसार निम्नलिखित दो विकल्पों में से निर्धारिती किसी का अनुपालन करेगा जो उसको लागू हो, नामत:-

(i) वस्तुओं का विनिर्माता 31 मार्च 2011 तक कर मुक्त वस्तुओं अथवा कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत और उसके बाद कर मुक्त वस्तुओं अथवा कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा

(ii) वस्तुओं का विनिर्माता अथवा आठटपुट सेवा का प्रदाता कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा के सम्बन्ध में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2011 आगे स्पष्ट करती हैं कि मुक्त सेवाओं में व्यापार शामिल होता है।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3घ(ग) के अनुसार व्यापार के मामले में उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के प्रयोजन हेतु मूल्य बिक्री मूल्य, और बेची वस्तुओं की लागत के बीच अन्तर अथवा बेची वस्तुओं की लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

नागपुर कमिशनरी में मैं. गुप्ता ग्लोबल रिसोसेज प्रा. लि. में कारबार सहायक सेवाएं प्रदान की (कोयले की धुलाई) और तदनुसार नकदी के माध्यम से और सेनवेट क्रेडिट लेखा के माध्यम से सेवा कर अदा किया। तथापि निर्धारिती व्यापार कार्यकलाप में भी लगा था और 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान उसने कोयले का व्यापार किया। चूंकि व्यापार कर मुक्त सेवा हैं इसलिए निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(2) के अनुसार अलग लेखे अनुरक्षित करने चाहिए थे जो किया नहीं गया था। इसलिए निर्धारिती ₹ 4.92 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को वापिस लौटाने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि यथासमय एससीएन जारी किया जाएगा।

ii) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अनुसार करयोग्य सेवा के प्रदाता को इनपुट/पूँजीगत माल/उसके द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट लेना अनुमत किया जाता है।

कोलकाता सेवा कर कमिशनरी में मैं. ब्ल्यूज ने इनपुट सेवाओं पर ₹ 50 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया और वर्ष 2011-12 के दौरान सेवा कर भुगतान के लिए उसका उपयोग किया यद्यपि इस अवधि के दौरान निर्धारिती को उपलब्ध सेनवेट मात्र ₹ 18.35 लाख था। इसके परिणामस्वरूप स्वरूप ₹ 31.65 लाख का सेनवेट क्रेडिट अधिक लिया गया जो अनियमित था और ब्याज तथा शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जून 2013) तब मंत्रालय ने ₹ 31.65 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)। व्याज के संबंध में आगे कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित हैं।

iii) अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी दिनांक 1 जुलाई 2012 (अधिसूचना संख्या 45/2012-एसटी द्वारा यथा संशोधित) के अनुसार जनशक्ति सेवाओं और सुरक्षा सेवाओं की आपूर्ति की सेवा के मामले में प्राप्तकर्ता सेवा कर का 75 प्रतिशत और प्रदाता सेवा कर का 25 प्रतिशत भुगतान करेगा। इसलिए जहाँ सेवा प्राप्त कर्ता ने अपनी देयता का निर्वाह नहीं किया हैं वहाँ उस मात्रा तक सेनेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

हल्दिया कमिशनरी में मै. केजरीवाल कास्टिंग लि. ने जुलाई 2012 से जुलाई 2013 तक के दौरान विभिन्न सेवा प्रदाताओं (ठेकागत श्रम आपूर्तिकार) द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रभारित 100 प्रतिशत सेवा कर का इनपुट सेवा क्रेडिट प्राप्त किया था। तथापि निर्धारिती ने ऊपर उद्वरित अधिसूचना के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत अपनी सेवा कर देयता का निर्वाह नहीं किया और कथित इनपुट सेवाओं के पूर्ण क्रेडिट का गलत प्रकार लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.70 लाख के सेनेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना हुआ जो व्याज के साथ वसूली योग्य हैं।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 37.70 लाख का सेनेट क्रेडिट वापस कर दिया था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 12.48 लाख के व्याज के साथ ₹ 53.09 लाख का सेवा कर भुगतान कर दिया था।

5.6 अन्य मामले

ऊपर चर्चा किए गए मामलों के अतिरिक्त हमने सेवा कर के कम भुगतान/भुगतान न करने, इलेक्ट्रानिक रूप से कर भुगतान करने में विफलता आदि के 87 मामले भी देखे जिनमें ₹ 2.35 करोड़ का राजस्व अन्तर्गस्त हैं। मंत्रालय/विभाग ने 52 मामलों में आपत्तियां स्वीकार कर ली और ₹ 1.23 करोड़ वसूल कर लिए।

5.7 निष्कर्ष

यद्यपि सीबीईसी की प्रत्याशा यह थी कि विवरणियों की आनलाईन स्वचलित संवीक्षा के आरम्भ के साथ दक्षता में वृद्धि होगी और जनशक्ति को विस्तृत संवीक्षा हेतु मुक्त कर दिया जाएगा जो रेंजो का प्रमुख कार्य बन जाएगा परन्तु क्षेत्र में वास्तविक स्थिति चाहने से काफी दूर हैं। रेंजो के प्रमुख कार्य के रूप में निर्धारणों की संवीक्षा अपने स्थान का दावा कर सके उससे पूर्व बहुत कुछ किए जाने की अधिक आवश्यकता हैं।